भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1658

03 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

अर्बन चैलेंज फंड की वर्तमान स्थिति एवं कार्यान्वयन की रूपरेखा

1658 **श्री मिलिंद मुरली देवराः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) शहरों के चयन तथा परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) केंद्रीय निधि, बांडों, ऋणों तथा सार्वजनिक निजी भागीदारियों (पीपीपी) सहित इसके वित्तपोषण की संरचना क्या है;

(घ) टियर-2 एवं टियर-3 शहरों को इसमें शामिल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इसकी निगरानी एवं मूल्यांकन की रूपरेखा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) योजना को 15 अप्रैल, 2026 को यूसीएफ के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी करने के साथ शुरू किया गया है। वर्तमान में, 33 परियोजनाओं को अनुमोदन/सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है.

(ख) और (घ): यूसीएफ के अंतर्गत टियर-2 और टियर-3 शहरों सहित सभी शहर भाग लेने के लिए पात्र हैं। इन परिचालन दिशा-निर्देशों के अध्याय 7 में अनिवार्य पात्रता आवश्यकताओं, समग्र परियोजना प्रक्रिया/कार्यान्वयन रूपरेखा तथा परियोजनाओं के मूल्यांकन एवं चयन के लिए परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया सहित परियोजना मूल्यांकन और चैलेंज फ्रेमवर्क का विवरण दिया गया है। यूसीएफ योजना के दिशा-निर्देश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इन्हें

https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2026/04/7950afb9b2d5cb773ba3d6c64bde9726.pdf पर देखा जा सकता है।

यूसीएफ के अंतर्गत, बाजार-आधारित वित्त तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1,00,000 से कम जनसंख्या वाले छोटे शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) हेतु ऋण पुनर्भुगतान गारंटी उप-योजना (सीआरजीएसएस) भी प्रारंभ की गई है। सीआरजीएसएस को रिस्क-शेयरिंग और ऋण संवर्धन तंत्र के रूप में तैयार किया गया है, ताकि सीमित क्रेडिट हिस्ट्री या अपेक्षाकृत कमजोर वित्तीय प्रोफाइल वाले यूएलबी को सहायता प्रदान की जा सके, जिससे उन्हें सतत और स्वतंत्र बाज़ार वित्तपोषण की ओर धीरे-धीरे बढ़ने में सक्षम बनाया जा सके। सीआरजीएसएस दिशानिर्देश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इन्हें **https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2026/04/0520cfda855ed39c45e33632581ed228.pdf** पर देखा जा सकता है।

(ग): यूसीएफ (यूसीएफ) मिशन अवधि के दौरान 1 लाख करोड़ रु. की कुल केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। यूसीएफ के तहत, केंद्रीय सहायता बैंक से वित्तपोषण योग्य (बैंकेबल) परियोजनाओं की लागत के 25 प्रतिशत तक सीमित है, इस शर्त के साथ कि परियोजना लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बाजार आधारित स्रोतों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा, जिसमें नगरपालिका बांड, बैंक ऋण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) शामिल हैं। शेष परियोजना लागत को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) द्वारा वहन किया जायेगा।

(ड.): इस मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अर्बन चैलेंज फंड में एक बहु-स्तरीय निगरानी प्रणाली है। इसके अलावा, परिचालन दिशानिर्देशों के अध्याय 7.2, अध्याय 10 और अध्याय 14 में यूसीएफ के तहत निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क के बारे में विवरण दिया गया है।
